

Form No. III  
**फर्द अहकाम**  
 ( नियम 26 )


1

भाज दिनांक तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्थान श्री विजयनगर मुकाम श्री विजयनगर  
 सरकार बनाम सईराम - पृष्णी फि सरदाराराम नायक मोवापर  
 केस्त मुकदमा राज.उप.अधि. 1954 की धारा के अन्तर्गत सं. 59 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही का इतिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम व हुकम की तामिल में जारी हुए।
2018	<p>पटवारी हल्का ..... <u>5A5D</u> ..... ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया है कि चक नं. <u>5A5D</u> के मुरब्बा नं. <u>192</u> के <u>0.950</u> बीघा, भूमि रकबा <u>452</u> राज है जिस पर श्री <u>सईराम - पृष्णी</u> पुत्र श्री <u>सरदाराराम</u> जाति <u>नायक</u> सा <u>मोवापर</u> ने अतिक्रमण कर सम्वत् <u>2074</u> फसल <u>रनी</u> नाजायज काश्त कर रखी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मौके पर खड़ी फसल को कुर्क करने हेतु गिरदावर हल्का को कुर्की के आदेश दिये जावे।</p> <p>पत्रावली दिनांक <u>14/02/2018</u> को पेश है।</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर शास्ति अधिरोपित की गई निर्णय पृथक से लिखवाया गया।</p>	

11/5/18 पञ्जावली पेश हुई 922 4093 डाप  
 विद्यापी पेश सी गरी हवा लिफ्त बोलीकता  
 बन्ते राफ 510 इन्हाप वाति त्राइज्ज निच  
 5180 सी 870/8 सी हरी उमर  
 बोली हरीसा सी गरी 922 डाप विद्यापी अर्थी  
 वरिये चालन न 93 कि 11/5/18 इगा शकके  
 मे जमा काका सी गरी जो शामिल पञ्जावली  
 जावे का मांग दर्ज लेवा सी जावे पञ्जावली हवा  
 डाप अतिकर्मी को बेदवेर कट काठजा बइ  
 कञ्जाए डाप कट लिफ्त ग्या है वा तावात  
 वहुल कटली गरी है पञ्जावली मे शेष काय  
 अपेक्षित नही है अतः पञ्जावली फेजला हुम  
 डोकल दारिह दफतर हो।

धरजिस्टर की पृष्ठ सं. 31... क्र. सं. 01  
 दिनांक 12-5-18 राशि 870... दर्ज किया।



(1/2)

**पालय तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर**

पत्र सं० ..... 59 ..... वर्ष ..... 2018

जिन सरकार बनाम ..... सहाय राम - पुत्र 58 सरदार राम तायक


करण दिनांक ..... 25/1/18 ..... निर्णय दिनांक ..... 14/2/18

जिन उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत

ख म	हुकम या कार्यावाही का इतिशायल्लस जज	पत्र क्रमांक दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
-----	-------------------------------------	--

पत्रावाली प्रस्तुत अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित ऑफिस कानूनगो उपस्थित, जमादार उपस्थित, जमादार ने बताया कि अप्रार्थी को तामिल हो चुकी है। ऑफिस कानूनगो ने बताया जमाबन्दी सम्बन्ध 2074 में भूमि रकबा राज दर्ज है।

अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित अतः पटवारी हल्का S.A.S-B का प्रतिवेदन दिनांक 25/1/18 को स्वीकार करते हुए अप्रार्थी सहाय राम - पुत्र सरदार राम तायक निवासी मोयल राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत चक S.A.S-B मु.नं. 192/452 कुल 0.950 है 0 सरकारी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के काश्त करने पर अतिकर्मी घोषित करते हुए काश्तशुदा फसल को सरकारी सम्पत्ति घोषित किया जाता है। भू 0 राजस्व की दर का 50% गुणा राशि 380=0 शास्ति अधिरोपित की जाती है। निरीक्षक भू 0 अधि 0 404B को नियुक्त किया जाता है कि अतिकर्मी को बेदखल कर फसल निलाम करे तदनुसार मांग लेखे दर्ज किया जावे। निर्णय आज दिनांक 14/2/18 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।

  
 तहसीलदार (राजस्व)  
 श्री विजयनगर

'घ' रजिस्टर के पृष्ठ सं. 31 की क्रम सं. 2 दिनांक 12-3-18 को 380- दर्ज किया गया।

  
 ता०रा०ले०